न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ. बजरंग सिंह, आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 31/2024

जी.सी.एम.एस. नम्बर : 2024/305

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेण्ट
1. गोविन्दनिवास पुत्र स्व. रामनिवास 2. कृष्णनिवास पुत्र रामनिवास 3. दाखू बेवा रामनिवास जातिगण घांची निवासी बुसी, तहसील रानी जिला पाली		1. जगदीशनिवास पुत्र स्व. रामनिवास जाति घांची निवासी बुसी तहसील रानी जिला पाली हाल 59, अशोक नगर, महामंदिर, जोधपुर 2. ओमनिवास पुत्र स्व. रामनिवास जातिगण घांची निवासी बुसी, तहसील रानी जिला पाली 3. मृतक शिवनिवास पुत्र स्व. रामनिवास के विधिक वारिशान 3/1 रितिक गौरव पुत्र शिवनिवास 3/2 शिवानी पुत्री शिवनिवास 3/3 विमला देवी पत्नी शिवनिवास 4. कमला पुत्री स्व. रामनिवास पत्नी भगाराम भाटी निवासी कॉलेज रोड, फालना, तहसील बाली जिला पाली 5. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारी तहसीलदार रानी।

"अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956"

उपस्थित :–

1. अपीलाण्ट्स की ओर से अधिवक्ता श्री हिम्मतसिंह राजपुरोहित।
2. रेस्पोडेण्ट संख्या 1, 2, 3/1, 3/2, 3/3 की ओर से अधिवक्ता श्री पीताराम परिहार।
3. रेस्पोडेण्ट संख्या 5 की ओर से सरकारी पैरोकार श्री सुरेन्द्र सिंह लबाना।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

–: निर्णय :–

दिनांकः– 29/07/2025

अपीलाण्ट्स की ओर से अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत तहसीलदार रानी द्वारा ग्राम निम्बाडा

अति. जिला कलेक्टर, पाली

के नामान्तरकरण संख्या 904 दिनांक 06.01.2015 में पारित आदेश के विरूद्ध पेश की है। अपील म्याद बाहर होने से धारा 5 लिमिटेशन एक्ट के तहत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया। अपील सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेण्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। रेस्पोडेण्ट संख्या 4 बावजूद सम्मन तामिल वक्त बहस असालतन/वकालतन न्यायालय में अनुपस्थित होने से उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी गयी।

अधिवक्ता अपीलाण्ट ने दौराने बहस अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि ग्राम निम्बाडा में खसरा संख्या 375 स्थित है, जिसके सम्बन्ध में अपीलांण्ट एवं रेस्पोडेण्ट के पक्ष में नामान्तरकरण संख्या 730 दिनांक 30.10.2009 ग्राम पंचायत निम्बाडा द्वारा स्वीकृत किया गया, जिसके विरूद्ध रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ने उपखण्ड अधिकारी पाली के यहा अपील पेश की, जो अन्तरित होकर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रानी संस्थति हुई, जिसमें पारित निर्णय दिनांक 11.12.2015 के द्वारा ग्राम निम्बाडा के नामान्तरकरण संख्या 730 को निरस्त किया गया, जिसकी अपील अपीलाण्ट ने अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जोधपुर में की, जो अपील संख्या 17/2016 दर्ज होकर आदेश दिनांक 29.09.2016 के द्वारा स्वीकृत की जाकर उपखण्ड अधिकारी रानी के निर्णय दिनांक 11.12.2015 को निरस्त किया गया, जिसके विरूद्ध अपीलाण्ट ने माननीय राजस्व मण्डल में निगरानी पेश की, जिसकी निगरानी संख्या 6867/2016 जिला पाली दर्ज हुई, जिसमें स्थगन आदेश पारित हो रखा है। उक्त निगरानी आज भी विचाराधीन होने से उक्त स्थगन आदेश प्रभाव में है। रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ने जिस वसीयतनामा का उल्लेख करके नामान्तरकरण स्वीकृत करवाया है वह विधिविरूद्ध है क्योंकि उक्त वसीयत में यह अंकित है कि "मै व मेरी पत्नी श्रीमती दाखू जब तक जीवित रहेगें, तब तक खायेगें व खर्चेगें और हमारे स्वर्गवास के बाद तुम पांचों पुत्र इस वसीयत के अनुसार मालिक होगें।" दाखू देवी अभी जीवित है, इसलिये उक्त वसीयत अभी प्रभाव में नहीं आयी हैं। सिविल न्यायालय के वाद संख्या 94/2013 नारायणसिंह बनाम जगदीशनिवास ने दिनांक 22.07.2017 को अपना जवाब पेश कर ग्राम बूसी के खसरा संख्या 979, 975, 976, 978 और निम्बाडा के खसरा संख्या 375 की कृषि भूमि को प्रतिवादी के पिता रामनिवास की होना बताया है। नामान्तरकरण संख्या 904 हल्का पटवारी द्वारा दिनांक 02.01.2016 को रेस्पोडेण्ट संख्या 1 के पक्ष में भरना प्रकट किया, जिस पर राजस्व निरीक्षक ने दिनांक 03.01.2016 को अपनी रिपोर्ट की जबकि उक्त नामान्तरकरण तहसीलदार ने दिनांक 06.01.2015 को स्वीकृत किया, जो देखने मात्र से पूर्णतया विधि प्रतिकूल है। अपीलाण्ट गोविन्दनिवास जोधपुर शहर में रहता है, कृष्णनिवास पाली रहता है तथा दाखू देवी विधवा और अशिक्षित महिला है, जिसको इस नामान्तरकरण की जानकारी नहीं थी। जब अपीलाण्ट खेती के प्रयोजन से गांव गये तब अपीलाधीन नामान्तरकरण की जानकारी नहीं हुई। वसीयतनामा प्रभावी नहीं होने तथा राजस्व मण्डल का स्थगन होने के उपरान्त भी अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया, जो विधिविरूद्ध होने से खारिज फरमावे।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलेक्टर, पाली

अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट ने दौरान बहस कथन किया कि ग्राम पंचायत ने नामान्तरकरण संख्या 730 स्वःप्रेरणा से भरा गया, जिसकी अपील रेस्पोडेण्ट द्वारा न्यायालय सहायक कलक्टर रानी में की गयी, जो आदेश दिनांक 11.12.2015 के द्वारा स्वीकार की जाकर नामान्तरकरण संख्या 730 को निरस्त करते हुये प्रकरण रिमाण्ड किया तथा उक्त आदेश की पालना में अपीलाधीन नामान्तरकरण भरा गया। राजस्व मण्डल में विचाराधीन प्रकरण में जैर आराजी की मौका व रेकर्ड की यथास्थिति के आदेश पारित किये गये है। रामनिवास की मृत्यु के पश्चात वसीयत प्रभाव में आ गई और उसी वसीयतनामा के आधार पर उक्त नामान्तरकरण भरा गया। अपीलाण्ट उक्त वसीयत के आधार पर स्वीकृत नामान्तरकरण को विधिविरूद्ध बता रहे है जबकि उनके द्वारा इस वसीयत को कभी भी चुनौती नहीं दी गयी। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रानी के आदेश दिनांक 11.12.2015 के विरूद्ध अपीलाण्ट ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रानी में एक रिव्यू प्रार्थना–पत्र दिनांक 08.01.2016 को पेश किया, जो अपीलाण्ट एवं अधिवक्ता की मौजूदगी में दिनांक 28.05.2016 को खारिज किया गया तथा आदेशिक दिनांक 28.05.2016 में नामान्तरकरण संख्या 904 दिनांक 06.01.2016 के तथ्य अंकित है एवं अपीलाण्ट की उपस्थिति के हस्ताक्षर है अर्थात् इस दिनांक को अपीलाण्ट को अपीलाधीन नामान्तरकरण की जानकारी हो गई थी। अपीलाण्ट ने रेस्पोडेण्ट के विरूद्ध बंटवाडा एवं घोषणा का दावा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रानी में पेश किया, जो विचाराधीन है, जिसके वाद संख्या 39/2023 है। वादग्रस्त आराजी के हक अधिकार का निस्तारण वाद में ही तय किये जाते है जबकि अपीलाण्ट वाद व अपील दोनों को साथ–साथ नहीं चल सकते। इसलिये उक्त अपील म्याद बाहर होने एवं उपरोक्त आधारों पर पोषणीय नहीं होने से खारिज फरमावे।

सरकारी पैरोकार ने दौरान बहस कथन किया कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रानी द्वारा पारित आदेश दिनांक 11.12.2015 की पालना में अधीनस्थ न्यायालय ने नामान्तरकरण संख्या 730 को निरस्त करते हुये अपीलाधीन आदेश पारित किया, जो विधिनुरूप है। माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल ने प्रकरण संख्या 6867/2016 में दिनांक 03.10.2016 को जैर आराजी की मौके एवं रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखने के स्थगन आदेश पारित किये जबकि अपीलाधीन नामान्तरकरण इससे पूर्व ही भरा जा चुका था। जैर आराजी के सम्बन्ध में वर्तमान में वाद राजस्व मण्डल में विचाराधीन है तथा अधीनस्थ न्यायालय ने विधिनुसार अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जिसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं होने से इसे खारिज किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

हमने उभयपक्ष की श्रवणसुदा बहस पर मनन किया। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों, मूल नामान्तरकरण का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। जैर अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत तहसीलदार रानी द्वारा ग्राम निम्बाडा के खसरा संख्या 375 के नामान्तरकरण संख्या 904 दिनांक 06.01.2015 में पारित आदेश के विरूद्ध पेश की है। अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील को अन्दर म्याद शुमार करने हेतु परिसीमा अधिनियम, 1963 की धारा 5.

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलेक्टर, पाली

के तहत प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र प्रस्तुत किया है। प्रकरण में सर्वप्रथम हम अपीलाण्ट द्वारा दिये गये प्रार्थना–पत्र हस्ब दफा 05 भारतीय म्याद अधिनियम एवं शपथ–पत्र के निर्णय में उचित समझते है। अधिवक्ता अपीलाण्ट ने म्याद प्रार्थना–पत्र में यह तथ्य अंकित किया कि अपीलाण्ट गोविन्दनिवास जोधपुर शहर रहता है, कृष्णनिवास पालीं रहता है तथा दाखूदेवी 93 वर्ष की विधवा और अशिक्षित महिला है जिन्हें इस नामान्तरकरण सम्बन्धी जानकारी नहीं थी। अपीलाण्ट जब अपने खेती प्रयोजन से गांव बूसी गये तो अपीलाधीन आदेश की जानकारी हुई। इयलिये उक्त अपील को अन्दर म्याद शुमार फरमाई जावे। विपक्षी अधिवक्ता ने अधिवक्ता अपीलाण्ट के उपरोक्त उज्रों का खण्डन करते हुये कथन किया कि अपीलाण्ट को जैर नामान्तरकरण की जानकारी दिनांक 28.05.2016 को ही हो गयी थी। इस सम्बन्ध में पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों अनुसार न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रानी द्वारा प्रकरण संख्या 26/2013 बअनवान जगदीश निवास बनाम गोविन्द निवास में दिनांक 11.12.2015 को निर्णय पारित किया गया था। उक्त निर्णय एवं वसीयत के आधार पर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलाण्ट ने न्यायालय उपखण्ड अधिकरी रानी में दिनांक 08.01.2016 को रिव्यू प्रार्थना पत्र पेश किया तथा उक्त प्रार्थना पत्र दिनांक 28.05.2016 को खारिज किया गया। न्यायालय की आदेशिका दिनांक 28.05.2016 के अनुसार अपीलाण्ट तथा उनके अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित थे एवं अपीलाण्ट के उपस्थिति बाबत् हस्ताक्षर भी है साथ ही उक्त आदेशिका में अपीलाधीन नामान्तरकरण के तथ्य अंकित है, जिससे यह स्पष्ट है कि अपीलाण्ट को जैर अपीलाधीन आदेश की जानकारी दिनांक 28.05.2016 को ही हो गयी थी हालांकि न्यायालय की दृष्टि से न्याय "Justice oriented approach" का होना चाहिये तथा माननीय उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों ने कई बार कहा हैं कि मामूली देरी न्याय से वंचित करने का आधार नहीं बननी चाहिए एवं यदि उत्तरदाता को कोई विशेष नुकसान नहीं हो रहा हो और मामला वास्तविक हो, तो कोर्ट देरी माफ कर देता हैं। इस सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय ने न्यायिक दृष्टान्त Bhagmal vs Kunwar Lal (2010), Sesh Nath Singh (2021), Esha Bhattacharjee (2013) मामलों में माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि "Sufficient Cause" का अर्थ व्यापक हो सकता है, बशर्ते कोई लापरवाही या बदनीयती न हो। आधिकारिक आवेदन आवश्यक नहीं, मौखिक कारण भी न्यायोचित हो सकते हैं। इसी प्रकार माननीय उच्चतम न्यायालय ने न्यायिक दृष्टान्त N. Balakrishnan vs M. Krishnamurthy (1998) 7 SCC 123 के अनुसार विलम्ब की अवधि उतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितनी कि उस देरी के लिए दी गई वाजिब और ईमानदार वजह, यदि याचिकाकर्ता की मंशा दुर्भावनापूर्ण नहीं है और कारण पर्याप्त है, तो देरी माफ की जा सकती हैं अर्थात् न्यायालय ने कहा कि यदि स्पष्टीकरण विश्वसनीय है, तो देरी की अवधि लम्बी होने के बावजूद उसे स्वीकार किया जा सकता हैं। साथ ही माननीय उच्चतम न्यायालय ने न्यायिक दृष्टान्त Collector, Land Acquisition vs Mst. Katiji & Others (1987 Air 1353) के अनुसार देरी को लेकर न्यायालय को उदारतापूर्वक (liberally) विचार करना चाहिए, जब तक

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलेक्टर, पाली

यह स्पष्ट न हो कि याचिकाकर्ता ने जानबूझकर या लापरवाही से देरी की, तब तक देरी को माफ किया जा सकता हैं। यह माना गया कि: "विवादी विलम्ब से अपील दायर कर कोई लाभ नहीं प्राप्त करता हैं, केवल तकनीकी आधार पर योग्य वाद को प्रारम्भ में ही खारिज करना न्यायसंगत नहीं है" अर्थात् उच्चतम न्यायालय ने न्यायोन्तुख दृष्टिकोण अपनाने की सलाह दी, कि Delay Condonation का जिक्र करते समय Substantial Justice को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। यह निर्णय बताता है कि न्यायालयों को सामान्यतः देरी को क्षमा करने के प्रति सहानुभूतिपूर्ण रूख रखना चाहिए। उपरोक्त न्यायिक दृष्टान्त हस्तगत प्रकरण पर पूर्णतया चस्पा होते हैं। हस्तगत प्रकरण में यह प्रमाणित है कि अपीलाण्ट को अपीलाधीन आदेश की जानकारी पूर्व में हो गयी थी, परन्तु प्रकरण में ऐसे कोई तथ्य नहीं है जिससे यह सुस्पष्ट हो सके कि जैर अपील प्रस्तुत करने में अपीलाण्ट की मंशा दुर्भावनापूवर्ण रही हों, साथ ही म्याद एक तकनीकी बिन्दु है तथा न्यायालय की दृष्टि से न्याय "Justice oriented approach" का होना चाहिये। अपीलाण्ट की मंशा दुर्भावनापूर्ण नहीं होने से म्याद को कण्डोन किये जाने का उचित कारण है। इसके अतिरिक्त नामान्तरकरण से अपीलाण्ट के हक अधिकार प्रभावित होते है तथा जंहा किसी व्यक्ति के हक अधिकारों का प्रश्न हो, वहां पर म्याद का बिन्दु गौण हो जाता हैं। तद्नुसार उसे अपने हक अधिकारों से वंचित किये जाने का नामान्तरकरण प्रथम–दृष्टया विधि विरूद्ध है जिससे प्रार्थना–पत्र हस्ब दफा 05 भारतीय म्याद अधिनियम एवं शपथ–पत्र को अखंडित मानते हुए म्याद कण्डोन कर अपील श्रवणार्थ ग्रहण करते हैं।

अब यदि प्रकरण को गुणावगुण पर देखा जाता है तो जैर नामान्तरकरण न्यायालय सहायक कलेक्टर, रानी के आदेश दिनांक 11.12.2015 की पालना में तहसीलदार रानी के आदेश दिनांक 01.01.2016 एवं वसीयत दिनांक 17.04.2002 के अनुसार हल्का पटवारी द्वारा दिनांक 02.01.2016 को दायर किया गया, जिसे आर. आई. द्वारा दिनांक 03.01.2016 को मिलान सही होना बताया और उक्त नामान्तरकरण को तहसीलदार द्वारा दिनांक 06.01.2015 को स्वीकृत किया गया, जब नामान्तरकरण वर्ष 2016 में दायर किया गया हो तो उसे वर्ष 2015 में कैसे स्वीकृत किया जा सकता है ? इसके अतिरिक्त स्व. रामनिवास द्वारा अपनी स्वअर्जित सम्पति के सम्बन्ध में जारी वसीयतनामा दिनांक 17.04.2022 के पेज संख्या 5 पर स्पष्ट अंकित है कि "उपरोक्त मेरी स्वअर्जित सम्पति में से मैं व मेरी पत्नि श्रीमती दाखूदेवी जब तक जीवित रहेंगें तब तक खायेगें, खर्चेगें। हमारे स्वर्गवास के बाद तुम पांचों पुत्र इस वसीयत के अनुसार मालिक होंगें।" अर्थात् रामनिवास एवं उनकी पत्नी दाखूदेवी का देहान्त होने के उपरान्त ही उपरोक्त वसीयत दिनांक 17.04.2002 प्रभाव में आयेगी परन्तु हस्तगत प्रकरण में केवल रामनिवास का देहान्त हुआ है जबकि उनकी पत्नी दाखूदेवी अभी जीवित है, जो कि उभयपक्ष की स्वीकारोक्ति है। चूंकि जब उक्त वसीयत प्रभाव में ही नहीं है, तो इस वसीयत को आधार मानकर अपीलाधीन आदेश पारित करना न्यायालय के मत अनुसार विधिसम्मत नहीं है। साथ ही माननीय न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर द्वारा अपील संख्या 17/2016 अनवान गोविन्द निवास बनाम जगदीश

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलेक्टर, पाली

निवास वगैरा में पारित निर्णय दिनांक 29.09.2016 के द्वारा भी न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रानी द्वारा स्व. खातेदार रामनिवास द्वारा की गई वसीयत को आधार मानकर जो निर्णय पारित किया है, उसे समर्थन योग्य नहीं मानकर निरस्त किया हैं। लिहाजा यह सुस्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय ने जिस वसीयत के आधार पर जैर नामान्तरकरण स्वीकृत किया है, उस समय वह वसीयत प्रभाव में ही नहीं थी। अतएव अपीलाण्ट द्वारा वर्णित कथनों एवं उक्त वर्णित परिस्थितियों के अनुसार अधीनस्थ न्यायालयों ने विधि के सुस्थापित सिद्धान्तों के विपरीत प्रभावहीन दस्तावेजों के आधार पर अपीलाधीन आदेश स्वीकृत किया है, जो विधि के आज्ञापक प्रावधानों के विरूद्ध है तथा जैर नामान्तकरण निरस्त किये जाने का प्राथमिक आधार है।

परिणामस्वरूप अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर तहसीलदार रानी द्वारा ग्राम निम्बाडा के नामान्तरकरण संख्या 904 दिनांक 06.01.2015 को अपास्त किया जाता है। निर्णय की सत्यप्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 29/07/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. बजरंग सिंह)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
अति. जिला कलेक्टर, पाली